न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 389/2022
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

जश्नदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख साकिन पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम

1. हरपाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री कुलदीप सिंह मूण्ड प्रथम–वकील वादी
2. श्री सतोष सोलकी –वकील प्रति.सं. 1

निर्णय दिनांक :–13.9.22

वादी जश्नदीप सिंह ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 18.07.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि प्रति.सं. 1 वादी का पिता है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की वंशावली को दर्शाया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 12 एम.जे.डी. में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त चक के खाता की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

चक	खाता सं.	जमाबन्दी सं.	कुल कृषि भूमि
12 एम.जे.डी.	28/73	2070–73	4.979 है.

प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है जो कि एक हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र के चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि प्रति.सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई इसलिए वादी का जन्म से हित एवं स्वतव निहित हैं। परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारा अनुसार वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रति.सं. 1 के अन्य लोगो के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रति.सं. 1 के मध्य आपस में कटुता पैदा हो गई है। इससे रिश्तेदारो द्वारा जरिये पंचायत वादीगण एवं प्रति.सं. 1 के मध्य राजीनामा एवं घरू बंटवारा करवा दिया है। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

13/9
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(क) वादी जश्नदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख साकिन पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हिस्सा की कृषि भमि :—तहसील संगरिया के चक नं. 12 एम.जे.डी. खाता सं. 28/73 जं.सं. 2070—73 में 1.771 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

(ख) प्रति.सं. 1 हरपाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) तहसील संगरिया के चक नं. 12 एम.जे.डी. खाता सं. 28/73 जं.सं. 2070—73 में वादी की हद तक कम किया जाकर प्रतिवादी का हिस्सा अंकन किया जावे। वादी एवं प्रति.सं. 1 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वादपत्र की चरण 3 में कर दिया गया है। वादपत्र की चरण सं. 4 (क)(ख) के अनुसार वादी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

प्रति.सं. 1 को उक्त कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी व प्रति.सं. 1 को बंटवारे अनुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतू कहा तो कुछ दिन तो प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल करते रहे एवं पिछले सप्ताह ऐसा करने से कत्तई इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता ईकबालदावा मय जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक नं. 17 एम.एम.पी. खाता सं. 28/73 की जमाबन्दीयों की प्रतिप्रतियां पेश की। जमाबन्दी दस्तावेज EXP-1 प्रदर्श किये गये। साक्ष्य वादी में वादी सं. 1 जशनदीप सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 का जवाबदावा पेश हो चुका है। वादपत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने वादपत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी।

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 17 एम.एम.पी. खाता सं. 28/73 में वादी के पिता के नाम से दर्ज है। प्रतिवादीगण सं. 1 का सहमति के जवाब पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। वाद में वर्णित कृषि भूमि विरासतन होने के कारण वादी का विरासतन हक वा हिस्सा निहित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र सहमति के जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर एवं ... अधिकारी

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी सहमति के जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादी जशनदीप सिंह के हिस्सा की कृषि भमि :–तहसील संगरिया के चक नं. 12 एम.जे.डी. खाता सं. 28/73 जं.सं. 2070–73 में 1.771 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा उक्त खाता में से इसी कदर कम किया जाकर हिस्सा अंकन किया जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.9.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/9

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 389/2022

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

जश्नदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख साकिन पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम

1. हरपाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 13.9.22

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप सिंह मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री सन्तोष सोलकी वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी जशनदीप सिंह के हिस्सा की कृषि भमि :–तहसील संगरिया के चक नं. 12 एम.जे.डी. खाता सं. 28/73 ज.सं. 2070–73 में 1.771 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा उक्त खाता में से इसी कदर कम किया जाकर हिस्सा अंकन किया जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.9.22 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया